ज्ञापांक–1925/तक0

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–27वीं नवम्बर 2018

सेवा में

में0 समय कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0,
141, द सैंटम एस0एन0पी0 एरिया,
साकची, जमशेदपुर।

विषयः– **मौजा–दिंदली आदित्यपुर, प्लॉट नं0–868, 1570, 1571, 1572, खाता नं0–79, 101, 44, वार्ड नं0–15, थाना–128, हरिओम नगर, आदित्यपुर में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने द्वारा अपने ज्ञापांक–769 दिनांक–16.11.18 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों के सामने वाले भाग में कम से कम पचास–पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अंडरग्राडण्ड स्टैटिक वाटर टैंक से अग्निशमन वाहन को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों में अग्निशमन कार्य हेतु बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. प्रस्तावित कौमर्शियल एवं एडमिन ब्लॉक के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में तथा ए0बी0सी0 एवं ई0डब्लु0एस0 ब्लॉक के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150mm डाया वाले वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट तथा 30 मी0 लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
5. सभी तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित कौमर्शियल एवं एडमिन ब्लॉक के सभी तलों में तथा ए0बी0सी0 एवं ई0डब्लु0एस0 ब्लॉक के लोअर एवं अपर बेसमेंट में स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग का संस्थापन कराया जाय।
7. सभी ब्लॉकों के बाहरी भाग में 200mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट का निर्माण कराया जाय।
8. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
9. प्रस्तावित कौमर्शियल एवं एडमिन ब्लॉक के सतही तल एवं ऊपर के सभी तलों में एड्रेसेबल फायर डिटेक्शन एवं अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
10. सभी ब्लॉकों के मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
11. ए0, बी0, एवं सी0 एवं ब्लॉक के स्टेयरकेश लाबी की चौड़ाई किसी भी जल पर 1.80 मीटर से कम नहीं रखा जाय।
12. किसी भी ब्लॉक के बेसमेंट का स्लोप 1:10 से कम नहीं रखा जाय।
13. अग्निशमन कार्य हेतु सभी ब्लॉकों में पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।

14. समान क्षमता का एक अल्टरनेट पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
15. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
17. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
18. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
19. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. सभी भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में सतही तल पर 50 ली0 क्षमता वाले दो–दो अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
22. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
24. प्रस्तावित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
25. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
26. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों के सामने वाले भाग में मानक के अनुरूप कम से कम 12-12 मीटर लम्बा ठोस, समतल, चौड़स एवं खुला स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन अथवा एवं कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
27. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
28. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
29. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
30. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 & 6.4 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND, serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.11.27 19:34:39 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।